विदेशी नियोक्ता

नियोक्ता

नियोक्ता जिन्हें विदेशी कामगारों की जरूरत है

विदेशी नियोक्ताओं द्वारा सीधी भर्ती के लिए दिशानिर्देश-https://emigrate.gov.in/ext/forms/ECDirectFlow.pdf

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ताओं के लिए दिशानिर्देश - https://emigrate.gov.in/ext/forms/Instructions Emp -Regn.pdf

विदेशी नियोक्ताओं द्वारा उत्प्रवास प्रणाली का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश - https://emigrate.gov.in/ext/forms/EmpOprPrMan. pdf

विदेशी नियोक्ता आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं - https://emigrate.gov.in/ext/preEmigEventuality.action

प्रवासी की स्थिति प्रस्तुत करें - https://emigrate.gov.in/ext/preEmigEventuality.action

विदेशी नियोक्ताओं (एफईएस) के दायित्व

एक विदेशी नियोक्ता, या तो स्थानीय/निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट से अथवा उत्प्रवासी महा संरक्षक का कार्यालय, विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के खंड चार के अंतर्गत एक परमिट प्राप्त करने के बाद ही भारत में एक पंजीकृत भर्ती एजेंट के माध्यम से अथवा सीधे भारतीय कर्मियों की भर्ती कर सकता है।

सीधी भर्ती के मामले में, विदेशी नियोक्ताओं को भारतीय समाचार पत्रों में विज्ञापन करते समय परमिट संख्या का उल्लेख करना होगा। वास्तविक व्यक्ति होने के प्रमाण के रूप में उन्हें विज्ञापन प्रारूप के साथ अपने परमिट पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

भावी प्रवासी के साथ एक रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें उत्प्रवास नियम, 1983 के नियम 15 में निहित (2) जानकारी के अलावा अन्य विवरण शामिल होंगे और इन्हें उत्प्रवासी के रोजगार के गंतव्य पर पहुंचने पर बदला, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

विदेशी नियोक्ता को भारत से सीधी भर्ती के लिए जारी परमिट के नियम और शर्तों का पालन करना होगा।

विदेशी नियोक्ताओं के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु प्रारूप, निर्देश, प्रक्रिया, प्रशिक्षण वीडियो आदि www.emigrate.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।